न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी (उप जिला कलक्टर) गंगापुर सिटी
जिला सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी–श्री बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर 316/2001 | तारीख रजू 6-6-2001 | तारीख निर्णय 29-8-2025

अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, गंगापुर सिटी —प्रार्थी

वनाम

1. बृजमोहन पुत्र मेवालाल, माली निवासी सालोदा
2. जुगल किशोर पुत्र घासीलाल, ब्राह्मण निवासी गंगापुर सिटी
3. रामअवतार पुत्र घासीलाल, ब्राह्मण निवासी गंगापुर सिटी
4. रूपनारायण पुत्र घासीलाल, ब्राह्मण निवासी गंगापुर सिटी
5. घनश्याम पुत्र घासीलाल, ब्राह्मण निवासी गंगापुर सिटी —अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 90 वी राजस्थान भू–राज0 अधिनियम

उपस्थित :–श्री हर्षवर्धन शर्मा, एडवोकेट, प्रार्थी की ओर से
श्री सतीश कुमार शर्मा, एडवोकेट,अप्रार्थी नं0 2,3,4,5 की ओर से

निर्णय

प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, गंगापुर सिटी ने दिनांक 6.6.2001 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 90 वी राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम इस आशय का प्रस्तुत किया कि आराजी ख0नं0 5844 रकवा 0.91 है0, ख0नं0 5845 रकवा 0.08 है0, ख0नं0 5851 रकवा 0.38 है0, ख0नं0 6085 रकवा 0.02 है0 ग्राम उदेईकलां कृषि भूमि है जिसके खातेदार काश्तकार अप्रार्थीगण हैं। अप्रार्थीगण ने उक्त कृषि भूमि का वगेर इजाजत उसके भाग को अकृषि प्रयोजनों के लिए उपभोग व उपयोग किया है या उपयोग किए जाने के लिए अनुज्ञात किया है। अतः निवेदन है कि उक्त भूमि से अप्रार्थीगण को बेदखल किया जाकर उपरोक्त वर्णित भूमि पुनःग्रहण कर भूमि राज्य सरकार को दी जावे।

यह प्रार्थना पत्र दिनांक 22.1.2002 को इस न्यायालय से निर्णित किया जाकर आराजी ख0नं0 5844 रकवा 0.91 है0, ख0नं0 5845 रकवा 0.08 है0, ख0नं0 5851 रकवा 0.38 है0, ख0नं0 6085 रकवा 0.02 है0 ग्राम उदेईकलां को पुनर्गृहण की जाकर भूमि का नामान्तरकरण राज्यहित में खोलने का आदेश तहसीलदार गंगापुर सिटी को दिया गया।

अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 ने निर्णय दिनांक 22.1.2002 के विरुद्ध श्रीमान् संभागीय आयुक्त भरतपुर के यहां अपील प्रस्तुत की। श्रीमान् संभागीय आयुक्त भरतपुर ने अपने निर्णय दिनांक ... 2007 में अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 की अपील स्वीकार करते हुए इस न्यायालय का आदेश दिनांक 22.1.2002 भूमि ख0नं0 5844 रकवा 0.91 ... से अप्रार्थीगण के 10 एयर रकवे की हद तक आंशिक रूप से निरस्त कर दिया एवं प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु इस न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर दिया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.09.03 12:30:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)

प्रकरण पुनः इस न्यायालय में प्राप्त होने पर पुनः दर्ज करते हुए भूमि ख0नं0 5844 रकबा 10 एयर की मौका रिपोर्ट तहसीलदार गंगापुर सिटी से चाही गई।

तहसीलदार गंगापुर सिटी के यहां से गिरदावर गंगापुर एवं पटवारी हलका गंगापुर की रिपोर्ट दिनांक 23.6.2009 प्राप्त हुई। इस रिपोर्ट में अंकित किया गया है कि ख0नं0 5844 रकबा 0.91 है0 उदेईकलां की जमाबंदी सं0 2057 से 2060 में बृजमोहन पुत्र मयलाल माली के नाम दर्ज था जिसमें से ख0नं0 5844/2 रकबा 0.10 है0 डिक्री न्यायालय उप जिलाकलक्टर गंगापुर सिटी के अनुसार नामान्तरकरण नम्बर 24 दिनांक 3.8.2000 से युगलकिशोर, रामावतार, रूपनारायण, घनश्याम पि0 घासीलाल जाति ब्राह्मण गंगापुर की खातेदारी में दर्ज हो गया। इसके बाद नामा0नं0 175 दिनांक 6.2.2002 द्वारा सम्पूर्ण ख0नं0 5844 रकबा 0.91 है0 सिवायचक (90 बी) के तहत नगरपालिका गंगापुर सिटी के नाम दर्ज हो चुका है जो वर्तमान जमाबंदी सं0 2065 से 2068 में भी दर्ज है। मुताबिक मौका ख0नं0 5844/1 रकबा 0.81 है0 एवं 5844/2 रकबा 0.10 है0 एवं ख0नं0 5844/6242 में प्लाट काट दिए गए हैं। ख0नं0 5844/2 रकबा 0.10 है0 में मौके पर कुछ प्लाटों की नींव भरी हुई है तथा कुछ खाली पडे हैं जिनके आसपास आबादी बसी हुई है।

बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई।

प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपने प्रार्थना पत्र के अनुरूप बहस करते हुए श्रीमान् संभागीय आयुक्त भरतपुर के निर्णय दिनांक 8.5.2007 के अनुसार कार्यवाही करने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं होना बताया है।

अप्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में कहा कि अप्रार्थीगण के नाम ख0नं0 5844 रकबा 0.91 है0 ग्राम उदेईकलां में से 0.10 है0 भूमि श्रीमान् उप जिलाकलक्टर गंगापुर सिटी के निर्णय व डिक्री दिनांक 10.12.1999 द्वारा अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज हो गई परन्तु इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 22.1.2002 द्वारा भूमि ख0नं0 5844 का सम्पूर्ण रकबा 0.91 है0 धारा 90 बी के तहत नगरपालिका गंगापुर सिटी के नाम दर्ज हो गया। आदेश दिनांक 22.1.2002 के विरूद्ध अप्रार्थीगण द्वारा श्रीमान् संभागीय आयुक्त भरतपुर के यहां अपील प्रस्तुत करने पर अप्रार्थीगण के 10 एयर रकबे तक आदेश दिनांक 22.1.2002 आंशिक निरस्त कर दिया गया एवं सुनवाई हेतु प्रकरण पुनः इस न्यायालय को भिजवाया गया है। अप्रार्थीगण का 0.10 है0 रकबा मौके पर खाली पडा हुआ है जो गिरदावर व पटवारी गंगापुर सिटी की रिपोर्ट दिनांक 23.6.2009 से स्पष्ट है। अतः अप्रार्थीगण की यह 0.10 है0 भूमि पुनः अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज फरमाई जावे।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध नकल जमाबंदी सं0 2057 से 2060 में ख0नं0 5844 रकबा 0.91 है0 बृजमोहन पुत्र मायालाल की खातेदारी में अंकित है एवं इसी जमाबंदी में अंकित नोट के अनुसार नामान्तरकरण सं024 दि0 3.8.2000

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.09.03 12:?0:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सत्यमेव जयते
गंगापुर सिटी (राज0)

द्वारा ख0नं0 5844/2 रकबा 0.10 है0 अप्रार्थीगण की खातेदारी में अंकित हुआ है परन्तु इस न्यायालय के आदेश दिनांक 22.1.2002 द्वारा ख0नं0 5844 का सम्पूर्ण 0.91 है0 रकबा पुनर्ग्रहण करते हुए धारा 90 बी लै0रे0एक्ट के तहत राज्य हित में राज0 सरकार के नाम दर्ज कर दिया गया। इस न्यायालय के आदेश दिनांक 22.1.2002 के विरूद्ध अप्रार्थीगण द्वारा श्रीमान् संभागीय आयुक्त भरतपुर के यहां अपील प्रस्तुत करने पर श्रीमान् संभागीय आयुक्त भरतपुर के निर्णय दिनांक 8.5.2007 द्वारा अप्रार्थीगण की 0.10 है0 भूमि की सीमा तक इस न्यायालय का निर्णय दिनांक 22.1.2002 निरस्त कर दिया गया। फलस्वरूप उपरोक्त वर्णित अभिलेख के अनुसार अप्रार्थीगण की यह 0.10 है0 भूमि उनके नाम पुनः अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 5 के नाम खातेदारी में दर्ज किया जाना उचित है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 22.1.2002 द्वारा धारा 90 बी लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत राज्य सरकार के खाते में दर्ज की गई ख0नं0 5844 रकबा 0.91 है0 ग्राम उदेईकलां की भूमि में से 0.10 है0 भूमि की खातेदारी पुनः अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 5 के नाम दर्ज किए जाने का आदेश दिया जाता है। निर्णय की एक प्रति पालना हेतु तहसीलदार लैण्ड होल्डर गंगापुर सिटी को भिजवाई जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27-8-25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिला कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (राज0) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.09.03 12:00:17 IST
Reason: SelfAttested